राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य निष्क्रमणीय पशुपालक राजकीय आवसीय उच्च माध्यमिक विधालय हरियाली (जालोर)

क्रमांक: निपराआवि/हरियाली/निविदा/2021/ ***1120*** *दिनांक:* ***27.11.2021***

–: खुली बोली आमंत्रण सूचना 02/2021–22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान रेजीडेन्सीयल एजूकेशनल इन्स्टीयूटस् सोसायटी (राईस) सामा.न्याय. एवं अधिकारिकता विभाग राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन संचालित आवासीय विधालीय, हरियाली में शैक्षणिक सत्र **2021–22** की निम्न सुविधा मदों में माल/सामान की आपूर्ति/कार्य कराने हेतु खुली प्रतियोगिता बोली (द्विप्रकमी पद्वति) के माध्यम से पंजीकृत /बोलीदाता/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	बेली प्रतिभूति राशि	विशेष विवरण	निविदा प्रपत्र बेचने की दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र जमा करने की दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	**विधालय यूनिफॉर्म सिलाई कार्य (प्रति छात्र दो जोडी)**	**246000**	400	**घोषणा पत्र 50 रू के निर्धारित प्रारूप में**	**प्रत्येक छात्र के माप के अनुसार**	2.12.2021 से 09.12. 2021 को कार्यालय समय में	9.12.2021 को प्रातः 11:00 बजे तक	9.12.2021 को दोपहर 12 बजे

शर्ते –

1.निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माल/सामान हेतु अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्येक लिफाफे पर मोटे और स्पष्ट अक्षरों में निविदादाता फर्म का नाम पता एवं कार्य सामग्री का उल्लेख करना होगा।पेसिंल से भरी हुई निविदाऐं मान्य नही होगी।

3.निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10 बजें से दोपहर 4 बजे तक निर्धारित शुल्क का नकद भुगतान कर भी प्राप्त किये जा सकते है।

4.निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

5.प्राप्त निविदायें निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदादाता के समक्ष क्रय उपापन समिति के द्वारा खोली जायेगी।

6.निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

7. डाक से भेजी गई निविदाएं मान्य नही होगी।

8.सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

9.वितीय निविदा में दर सभी करों सहित होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त कर का भुगतान देंय नही होगा।

10.सिलाई की हुई यूनिफॉर्म सामग्री का सेम्पल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.दर एक ही देनी होगी एक से अधिक दर देने पर न्यूनतम दर ही मान्य होगी।

12. एफ.ओ.आर. विधालय परिसर होगा।

13. सामग्री की आपूर्ति विधार्थियों के माप के अनुसार ही करनी होगी। माप सफल निविदादाता को विधालय आकर लेना होगा

14.सामान्य वित एवं लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2013 की समस्त शर्त व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी समस्त दिशा निर्देश मान्य होंगे।

नोट –निविदादाता को प्रत्येक माल/सामान हेतु तकनीकी निविदा एवं वितीय निविदा को पृथक पृथक लिफाफों में सील बंद लिफाफों में सील बंद कर डालना होगा ।

तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वितीय निविदादाता की ही वितीय निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में असफल निविदादाता की वितीय निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

बोली एवं शर्तो का अवलोकन लोक उपापन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता हैं एवं आवेदन, नियम व शर्ते कार्यालय समय मे कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

(भँवरलाल परमार)
प्रधानाचार्य
नि0प.रा0उ0मा0आवा0विधालय हरियाली(जालोर)
मोबाइल नम्बर –9413465033

क्रमांक: निपराआवि/हरियाली/निविदा/2021/ 1121–28 *दिनांक:* **27.11.2021**

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान अति0 निदेशक प्रभारी अधिकारी/उपनिदेशक राईस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. श्रीमान वितीय सलाहाकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
4. श्रीमान सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोंर
5. श्रीमान उपकोषधिकारी, उपकोष आहोर।
6. राजस्थान संवाद सूचना जनसम्पर्क विभाग जयपुर को जरिये ईमेल आई डी advt.dipr@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त निविदा सूचना को नियमानुसार क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने का श्रम करावे।
7. ए.सी.पी. सामा.न्याय.अधि. विभाग, जयपुर राज. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को शीघ्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
8. नोटिस बोर्ड उपखण्ड कार्यालय आहोर/पंचायत समिति आहोर/तहसील कार्यालय/स्थानीय आवासीय विधालय हरियाली
9. आरक्षित पत्रावली

(भँवरलाल परमार)
प्रधानाचार्य
नि0प.रा0उ0मा0आवा0विधालय हरियाली(जालोर)
मोबाइल नम्बर –9413465033
मेल आईडी –rreis.hariyali@rajasthan.gov.i

सिलाई हेतु शर्ते

1. कपडे की आपूर्ति विद्यालय द्वारा ही करवाई जायेगी।
2. सिलाई का कार्य विद्यालय परिसर में ही करना होगा।
3. पोकेटिंग, चैन, बटन, केनवास, धागा आदि काम में आने वाली सामग्रियां निविदादाता की रहेगी।
4. छात्रों के नाप के अनुसार सिलाई का कार्य करना होगा।
5. निविदादाता अपनी दर प्रति पोशाक (पेन्ट व शर्ट फुल आस्तीन) के अनुसार प्रस्तुत करेगें। साथ ही प्रति जोडी हेतु आवश्यक शुटिंग व शर्टिंग के कपडे की माप भी प्रस्तुत करेंगे।
6. सिले हुए कपडे छात्रों को पहनाकर छात्र की संतुष्टि के पश्चात् ही बिल स्वीकार किया जायेगा।
7. निविदा दर प्रति जोडी प्रस्तुत करनी होगी।
8. दरें समस्त व्यय , जीएसटी, सभी प्रकार के कर व एफ.ओ.आर. विद्यालय तक जोडते हुए प्रति जोडी प्रस्तुत करनी होगी।
9. विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार यूनिफोर्म की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
10. कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् 15 दिवस में सिलाई का कार्य पूर्ण कर यूनिफोर्म उपलब्ध करवानी होगी।
11. सामग्री प्राप्ति के पश्चात् सही पाये जाने पर ही उपकोषालय के माध्यम से भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा।
12. दरें दिनांक 31.03.2022 तक मान्य रहेगी।
13. देरी से प्राप्त, खुली तार से प्रेषित व सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
14. सामान्य वित्त व लेखा नियम/राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 की समस्त शर्तें व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त निर्देश मान्य होंगे।
15. विज्ञप्ति एस.पी.पी.पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।
16. क्रय समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य रहेगा।

(भँवरलाल परमार)
प्रधानाचार्य
नि0प.रा0उ0मा0आवा0विधालय हरियाली(जालोर)
मोबाइल नम्बर –9413465033
मेल आईडी –rreis.hariyali@rajasthan.gov.in

कार्यालय प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य, निष्क्रमणीय पशुपालक रा.आवा.उ.मा.वि. हरियाली, जालोर

–:निविदा की शर्तेः–

(स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई कार्य की आपूर्ति के लिए)

1. निविदादाता तकनीकी व वित्तिय निविदा कार्य के लियें अलग–अलग निविदा प्रपत्र मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करेगें।इस लिफाफे के पृष्ठ भाग पर निविदादाता की फर्म का नाम एवं कार्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा ।
2. निविदा प्रपत्र स्याही/बाल पेन से भरें जाने चाहिये। पेन्सिल से भरे जाने वाले प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र में कोई भी संशोधन,ओवर राईटिंग नहीं की जायेगी। यदि कोई सुधर होता है तो निविदादाता अपने लघु हस्ताक्षर करेगें ।
3. निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि की जमा का साक्ष्य संलग्न किया जायेगा अन्यथा निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा ।
4. ठेका अवधि कार्य आदेश दिनांक से शैक्षणिक सत्र 2021.22/एक वर्ष/ अथवा आगामी आदेश की समाप्ति तक की अवधि के लिये विधि मान्य होगी। । इस कार्यालय द्वारा विधमान दर संविदाए उसी कीमत,निबन्धनों एवं शर्तो पर से आगे बढाई जा सकेगी।
5. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा ।इसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
6. निविदा में बोली प्रतिभूति का घोषणा पत्र (declaraton) 50 रू के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता को वित विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)वित/जीएण्डटी–एसपीएफसी/0017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्योरिटी के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसका मानक प्रारूप बिड के साथ संलग्न है। बिड सिक्योरिटी के संबध में प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र 50 रू स्टाम्प पर देय है। तथा स्टाम्प ड्यूटी पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचाज्र देय है। अतः बिड सिक्योरिटी के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र पर राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी व सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करे।
7. सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 2 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की डी.डी़ प्रधानाचार्य निष्क्रमणीय पशुपालक रा.आवा.उ.मा.वि. हरियाली जालोर के नाम तत्काल जमा करानी होगी। तथा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध पत्र(निविदादाता के द्वारा क्रय किये गये 500/–रूपये के नान ज्यूडिशियल पेपर पर) निष्पादित करना होगा। निविदा की सामान्य शर्तो पर उल्लंघन करने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी,किन्तु इस राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
8. दी गई दरों में स्थानीय विद्यालय हरियाली एफ.ओ.आर. होगा, जिसमें पैकिंग खर्चा, भेजने का किराया, बीमा खर्च, बिक्रीकर, सरचार्ज इत्यादि सम्मिलित होगें।
9. जो सामग्री बाजार में आईएसआई मार्का उपलब्ध है वही सामग्री आपूर्ति करनी हागी एवं जिस सामग्री की उपयोग अवधि निर्धारित है वह expire तिथि से अधिकतम एक वर्ष पूर्व सप्लाई की की जावेगी।
10. सामग्री आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी अतः आदेश देने पर सामग्री सही हालत मे अनुमोदित विशिष्टीकरण के अनुसार प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।
11. संलग्न विवरण तालिका मे जिस सामग्री के आगे नमूना लिखा गया है, का सेम्पल नमूने के तौर पर फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कराते हूए प्रस्तुत करे।
12. बोली प्रस्ताव बन्द लिफाफे में सिल्ड पेक करे। दरों मे कॉट छॉट स्वीकार नही होगी।
13. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियसम 29(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमते गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दोंरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सामान ,माल,संकर्मो या सेवाये देने के लिये उसकी कीमत कोट करता कम करता है तों उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर संविादा कीमत,कीमत कम करने या कोट करनें की तारिख से स्वतःकम हो जायेगी औश्र दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
14. राज्य हित मे बोली संशोधित /निरस्त करने ,सामग्री की मात्रा मे कमी /वद्वि करने तथा दरे स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा।किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य/क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा व सभी पक्षों को मान्य होगा।
15. आदेशानुसार सामग्री की सप्लाई नही करने व बोली की शर्तो का उल्लंघन करने पर सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के अनुसार दण्ड आरोपित किया जावेगा।
16. समस्त विधिक कार्यवाही यदि आवश्यक हुई तो किसी भी प्रकार (सम्बन्धित विभाग एवं निविदादाता) द्वारा जालोर में स्थित न्यायालय में पेश किया जायेगा।
17. शेष शर्ते राज. लोक उपापन मे पारदर्शिता अधि.2012 व नियम 2013 एवं सामान्य वितीय व लेखा नियमों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशाानुसार के अनुसार होगी।
18. सेवाप्रदाता के द्वारा उपलब्ध करवायी सेवाओं में लापरवाही के कारण विधालय को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि(चोरी ,गबन ,छात्रों का पलायन,हेराफेरी ,फर्नीचर,बिजली के सामान की हानि ,खाध सामग्री का अपव्यय) के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी पूर्ण रूप से उतरदायी होगी तथा हानि का पुनर्भरण सेवा प्रदाता एजेंसी के ,द्वारा ही करना होगा।
19. न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता बाध्य नही है उसे बिना कोई कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार रहेगा।
20. अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा समयानुसार किये गये दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन करना होगा।
21. वितीय निविदा की दरे समान रहने की स्थिति में आवासीय विधालय में कार्य करने का अधिक अनुभव रखने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

22. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मैस समिति/क्रय समिति**निष्क्रमणीय पशुपालक राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरियाली,(जालोर)** को होगा।
23. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।
24. न्यूनतम दर को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
25. निविदा अनुमोदन होने पर संबन्धित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा 7 दिवस के भीतर 500/–रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय संबन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि का 2 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में नकद अथवा प्रधानाचार्य **निष्क्रमणीय पशुपालक राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरियाली,(जालोर)** के नाम जारी डी.डी.के रूप में जमा करवानी होगी तथा इस प्रतिभुति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
26. तकनीकी निविदा प्रपत्र के संलग्न शर्तो का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
27. निविदादाता के बिलो के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये समस्त आदेश संशोधन/संशोधन आदेशो के अनुरूप टी.डी.एस एवं जी.एस.टी अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
28. समान दरे प्राप्त होने पर अनुभव को वरियता दी जायेगी तथा अनुभव भी समान पाये जाने पर बन्द लिफाफे में नेगोशियेशन करवा कर निर्णय लिया जायेगा।
29. सफल निविदादाता कार्यादेश प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर 2%धरोहर राशि नकद/डी.डी.प्रधानाचार्य **निष्क्रमणीय पशुपालक राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरियाली,(जालोर)** के नाम जमा करानी होगी।
30. समस्त विवादो के लिए न्याय क्षेत्र जिला मुख्यालय जालोर होगा।

नोट :–निविदा फार्म में टंकण त्रुटि होने की दशा में GF & AR वर्णित शर्ते ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

प्रधानाचार्य
निष्क्रमणीय पशुपालक रा.आ.वा.उ.मा.वि. हरियाली,
जालोर

मैने/हमारे द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी निविदा संख्या ..... दिनांक..... में वर्णित सभी शर्तो तथा निविदा की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है तथा सभी शर्तो को भली भॉति पढ लिया है एवं समझ लिया है। मैं उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूण पालना करने के लिए सहमत हूँ। सहमति स्वरुप निविदा की शर्तो के प्रत्येक शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर कर दिये गये है।

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने /हमने जिन मालो /सामानों /उपकरणों के लिये बोली दी है उनका /उनके मै/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/प्राधिकृत डीलर /विक्रय/विपणन एजेंट है /हूँ।

यदि उक्त घोषणा अस्तय पाई गई तो मेरे /हमारे विरूद्वद्व कानूनी कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डले बिना मेरी /हमारी प्रतिभूति राशि को पूर्ण समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया है ,रद्व किय ाजा सकेगा।

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर मय सील
फर्म का नाम एवं पत्ता.....
.....
मोबाईल नम्बर.....

खुली निविदा के लिये निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणीः–निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1.निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2.वास्तविक डीलरों (Bonafidedealers)द्वारा निविदाऐं– निविदाएँ माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जांयेगी। अतं में एस.आर प्ररूप–11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेगें।

3.(अ) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा। (ब) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदरों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा,जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद् में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4.बिक्री कर पंजीयन एवं चुकती प्रमाण–पत्रः– कोई भी डीलर उस राज्य में, प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थित है बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा संबंधित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर चूकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रदद कर दिया जाएगा।

5.आयकर चूकती प्रमाण–पत्रः–निविदाताओं को संबन्धित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चूकती प्रमाण पत्र निविदाओ के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके बिना निविदाओ पर विचार नहीं किया जायेगा।इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र संख्या 5/2003 दिनॉक 17.05.2003 के संबध मे यह निर्णय लिया गया है कि विचाराणीन निविदाओ मे भी आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नही मानते हुए उन्हे अन्तिम रूप मे दिया जावे(वित भिाग का परिपत्र स. पं.1(2)वित/साविलेनि/2002,दिनॉक26.05.2003)।

6. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7.दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटियां एवं/उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

8.दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्वत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाडी भाडे या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिये होते है, इसलिये इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले पुनः बिक्री करने के लिये या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिये है, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा मे विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।

9.**(अ) दरों की तुलना :** राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो नियमों के अन्तर्गत मुल्य अधिमान की हकदार नहीं है द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा,जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमे शामिल किया जाएगा।

(ब)राजस्थान के भीतर की फर्मो के सम्बन्ध मे दरो की तुलना करते समय ,राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

10.**मूल्य अधिमानः–** (मूल्य अधिमान/अधिमान,राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगो को अधिमान) नियम 1995 के अनुसार दिया जाएगा।)

11.**विधिमान्यताः–**निविदायें उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

12.अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों आकार, मेक रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो,रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा। तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

13. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

14– विनिर्देषः–

(अ) पदाय की गयी सभी वस्तुयें निविदा में निर्धारित विनिर्देश,ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, वहां उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देषों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए।

(ब) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या.....पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय,अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामले में जहां कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हो वहॉ अत्युतम गुणवता एव विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस संबध मे कि क्या प्रदाय की गई वस्तुऐं विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार है, किया गया निर्णय अंतिम एवं निविदादाताओं के लिये बाध्यकारी होगा।

04.

(स) वारंटी/गांरटी खण्डः–निविदादाता यह गांरटी देगाा कि माल/सामान/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उक्त माल/सामान/वस्तुओं की सुपुदर्गी के दिनॉक से.....दिनों/माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि.....दिनों/माहों की उक्त अवधि में उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा), तो क्रेता उक्त मालों/सामानों/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/सामान/वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिएकहा जाए तो वह उस माल आदि को या उसके भाग का जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है, बदल देगाा, अन्यथा निविदादाता ऐसे नुकसानी के लिये भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(द) मषीनों एवं उपकरणों के मामले में भी उक्त खण्ड (स) में उल्लेखित किये गये अनुसार गांरटी दी जाऐगी तथा निविदादाता गांरटीकृत अवधि में पुर्जो, यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मषीन एवं उपकरण ठीक काम कर सके। निविदादाता मशीनों एव उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाये कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता है।

(ई) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एव उपकरण के मामले में निविदादाता एसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जायें वार्षिक रखरखाव (मेंन्टीनेस) एव मरम्मत करने के लिये उत्तरदायी होगा । निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिये आवष्यक स्पेयर पार्टस एव उपकरण का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिये भी, चाहे वार्षिक रखरखाव एवं मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मषीनों एवं उपकरणो को पूर्ण रुप से कार्यकारी दषा में रखने के लिये उनसे स्पेयर पार्टस खरीद सकेगा ।

15– **निरीक्षण–**

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निष्चय किया जाये, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों /मषीनों की सामग्री एवं कार्यकौषल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्तियॉ होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय,गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहां निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिये सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुए हैं,अपने बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक होगा।

16– **नमूने**:– अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जायेगें। ऐसे नमूने यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाये तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिये रसीद दी जायेगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आार. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थेलों में निविदादाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।

17– प्रत्येक नमूने पर, या उस पर मजबूती से चिपकायी गई मजबूत कागज की पर्ची पर निविदादाता का नाम मद की क्रम संख्या, जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जायेगें।

18– अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के बाद छः माह की अवधि तक निशुल्क रखा जाऐगा। इस अवधि में इन नमूनों को प्रतिधारित करने के दौरान उनमें परीक्षण,जांच आदि के दौरीन किसी भी नुकसान,टूट–फूट,हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा नमूनों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई नमूने प्राप्त नहीं किये जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19– असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये नमूनों को इकठठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता हैं उनमें परीक्षण, जांच आदि के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान,टूट–फूट या हानि के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस नहीं लिये जायेगें उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिये भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20– प्रदाय जब भी प्राप्त किया जाएगा उनका निरीक्षण यह सुनिष्चित करने के लिये किया जाएगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यवहारिक हो,वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर प्रदाय किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित विनिर्देशों के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जायेगा।

21– नमूने निकालनाः– परीक्षण के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिये जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगषालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवाया जाएगा तथा तीसरा चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिये कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

22– **परीक्षण प्रभार**:– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जाएगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा ही वहन किये जाएगें। किन्तु, निविदा प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किये गये नमूनों के परीक्षण शुल्क का भुगतान निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।

05.

23– **रद्द करनाः–**(अ) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदला जाएगा।

(ब) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना सांध्य नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किये जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

24– रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके मद्देनजर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।

25– निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिये उत्तरदायी होगा, ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थान पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुदर्गी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

26– प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल का प्रदाय क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

27– निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

28(अ) **मात्रा की सीमाः–** आदेश को फिर से देनाः–यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित प्रदाय करने के लिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेगें, परन्तु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेष मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक के प्रदाय के लिये ही होगें तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह के अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसा प्रदाय करने मे असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी शेष सामान के प्रदाय की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिये स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।

(ब) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

29– बयाना राषि (अर्नेस्ट मनी):–

(क) निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य के 2(दो) प्रतिशत के बराबर रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि **प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य निष्क्रमणीय पशुपालक राजकीय आवासीय विधालय हरियाली के नाम बैंक ड्रॉफट/बैकर्स चैक के रूप मे** होगी। बयाना राशि निम्नालिखित में से किसी भी रूप में जमा करायी जानी होगीः–

(अ) नगद–शीर्ष 8443–सिविल निक्षेप–103 प्रतिभूति निक्षेप के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ब) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(स) बयाना राशि का प्रतिदायः–असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासमभव शीघ्र लौटायी जायेगी।

(ग) **बयाना राशि से आंशिक छूटः–** उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग,राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदों के संबंध में, जिनके लिये वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण –पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर (विलोपित) निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाये गये निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवष्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी निविदाओं के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

30– **बयाना राशि का समपहरणः–** बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगाः–

(अ)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा का स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लैता है या उसमे रूपान्तरण करता है।

(ब) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(स) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(द) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय करने में असफल रहता है।

31. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप–

(अ) सफल निविदादाता को आदेष के प्रप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रारुप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये निविदाये स्वीकार कि गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ब)निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

06.

(स) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(द) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगेः–

(क) नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति। डी.डी की मूल प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र,डिफेंस सेविग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हैं। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(य) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अंतिम संविदा/प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी सविदा के सन्तोषजनक रूप में पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नहीं है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2)(अ) निदेशक,उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनके लिये वह रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा निदेषक उद्योग से पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में या उसकी फोटोस्टेट प्रति या राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिषत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी।

(ब) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राषि जमा कराने से मुक्त होगें।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः– प्रतिभूति की राषि को पूर्ण या आंशिक रूप में निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः–

(क) जब सविंदा के किन्ही निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ग) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(घ) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत निशुल्क दी जायेगी।

32–(अ) समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चूकाना हो तो प्रदायकर्ता के बिल मे से उस भाडे. के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ब) आर.आर.केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(स) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाडा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(द) भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगें।

33**–बीमाः–**

(अ) सामान्य गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएगें। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी,नाशन या नुकसान द्वारा या आग,बाढ मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्ध,विद्रोह,दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिये बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है, तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ब)यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या इसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

34–**भुगतान–**(अ) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों कें सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गयी सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण,यदि कोई हो, किये जाने पर किया जाएगा। अतिशेष निविदादाता को नहीं दिये गये उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जाएगा।

(ब) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुदर्गी के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएंगे।

(स) विवादास्पद मदों के संबंध में राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसको भुगतान कर दिया जाएगा।

(द) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।

35–(अ) निविदा प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिये विनिर्दिष्ट समय को सविंदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेषों के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ब) परिसमापित नुकसानीः–परिसमापति नुकसानी के साथ सुपुदर्गी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिये की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैः–

(1) (क) विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2..5 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिये	5.0 प्रतिशत
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिये	7.5 प्रतिशत
(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये	10 प्रतिशत

07.

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड. दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा,जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

36– वसूलियॉः– परिसमापित नुकसानी कम प्रदाय,टूट–फूट,रदद् कि गई वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल मे से कि जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय टूट–फूट,रद्व किए गये मालो की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राषि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वंसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

37– निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्ययस्था करनी चाहिए।

38– यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद् कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृती के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

39–क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है,स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद् करने या जिस वस्तु के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक प्रदायकर्ता से अधिक सामान की मदों को विवरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

40–निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एंक अनुप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्टार ऑफ फमर्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के पंजीयक के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

41–यदि संविदा के निर्वचन,आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलें को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो उस विवाद के लिये एकमात्र मध्यस्थ (सोल अर्विट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा।यह उप–अधिकारी संविदा से संबंद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

42– समस्त विधिक कार्यवाहियों, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जोधपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

43.–तकनीकी निविदा की सम्पूर्ण शर्तें पूरी करने पर ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा। तकनीकी निविदा की शर्तें पूरी नहीं होने की स्थिति में वित्तीय निविदा बिना खोले ही निरस्त कर दी जायेगी।

नोटः–निविदा फॉर्म मे टंकण त्रुटि होने की दषा मे GA&FR मे वर्णित शर्ते ही अन्तिम रूप मे मान्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर .....
निविदादाता का नाम .....
निविदादाता का पूर्ण पता .....

10.

संलग्न दस्तावेजो की सूची

क्र. सं..	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
01.	वस्तु एवं सेवा कर (**GST**)				
02.	आय कर (पैन नम्बर)				
03.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर .....
निविदादाता का नाम .....
निविदादाता का पूर्ण पता .....

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य, निष्क्रमणीय पशुपालक ,राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरियाली, (जालोर)

जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एंव तिथि

मैसर्स.....को जारी किया गया।(कुल दो पृष्ठ)

–::निविदा प्रपत्र क (तकनीकी बिड प्रपत्र)::–

विषयः निष्क्रमणीय पशुपालक रा.आवा.उ.मा.वि.हरियाली, जालोर में छात्रो हेतु स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई का का कार्य करवाने हेतु।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पताः..... ।
2. प्रोपराईटर का नाम.....मोबाईल नम्बर.....
3. निविदा शुल्क राशि 400/–रू जमा कराने का विवरण–
   नकद जमा रसीद संख्या/डी.डी. संख्या..... दिनांक.....
4. अमानत राशि रूपये..... जमा कराने का विवरण–
   डी.डी./बैंकर चैक संख्या..... दिनांक.....
5. रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण :–

क्र.सं.	विवरण	रजि. नम्बर	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	वस्तु सेवा कर (GST)				
2	आय कर (पैन नम्बर)				
3	राजस्थान दुकार एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत				
4	अन्य कोई रजिस्ट्रेशन हो तो				

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंध में राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक/अथवा **स्वयं द्वारा सत्यापित दस्तावेज निविदा** प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

5. तकनीकी सक्षमताः–

(a) कार्य अनुभव का विवरण :–

क्र.सं.	**संस्थान का नाम**	**कार्यादेश की संख्या**	**कार्य की लागत**
01.			
02.			
03.			

(b) वितीय टर्न ओवर–प्रति वर्ष के टर्न ओवर का विवरण(गत तीन वर्षो का) वितीय टर्न ओवर के संबंध में सीए द्वारा स्त्यापित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होगे।

क्र.सं	वितीय वर्ष	टर्न ओवर राशि लाखों में
1	2018	
2	2019	
3	2020	

(c) यदि गत तीन वर्षो में समकक्ष प्रकार के कार्य किय गये है तो गत तीन वर्षो(2018 से 2020)तकमें समकक्ष प्रकार के कार्योदेश की प्रति संलग्न करे एवं साथ ही उन कार्योदेश की प्रति संलग्न करे एवं साथ ही उन कार्यादेश का संतोषप्रद पूर्णता प्रमाण भी संलग्न करे।

(d)संस्थान का किसी भी प्रकार से ब्लेक लिस्टेड नही होने का सामान्य शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

मैंने/हमने प्रधानाचार्य **निष्क्रमणीय पशुपालक रा.आवासीय उ.मा.वि हरियाली ,जालोर** के द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..... दिनांक.....में वर्णित एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैंने/हमने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं/हम मानने के लिये बाध्य हूँ/है।

दिनांक :–

निविदादाता के हस्ताक्षर

–::निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा::–

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो आवासीय विद्यालय प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य आवासीय विद्यालय हरियाली ,जालोर को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नामः–.....

पत्र व्यवहार का पता :–.....

.....

मोबाईल नं.–.....

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य,निष्क्रमणीय पशुपालक रा.आ.वा.उ.मा.वि. हरियाली, (जालोर)

जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एंव तिथि

मैसर्स.....को जारी किया गया।

–::बिड प्रपत्र ख (वित्तीय बिड प्रपत्र)::–

विषयः निष्क्रमणीय पशुपालक रा.आवा.उ.मा.वि.हरियाली, जालोर में छात्रो हेतु स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई का का कार्य करवाने हेतु।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पताः .....
   .....।
2. बिड संख्या.....दिनांक...../...../.....
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु जमा कराई गई राशि रूपये 400/– की कार्यालय रसीद संख्या./डीडी सं..... ..... दिनांक ...../...../.....
4. मैं/हम तकनीकी बिड सूचना संख्या.....दिनांक...../...../.....में अंकित समस्त शर्तो एंव तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो से सहमत हूँ/हैं। सहमति के साक्ष्य स्वरूप तकनीकी निविदा शर्त के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे हस्ताक्षर किये गये हैं।
5. स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई कार्य बाबत् हमारी दरे निम्नानुसार है –

क्रम सं	कार्य/सामान का विवरण	मात्रा	शूटिंग व शर्टिंग के कपडे की माप प्रति यूनिफार्म हेतु मीटर में	प्रति यूनिफॉर्म दर अंकों में	प्रति यूनिफॉर्म दर शब्दों में
1	2	3	4	5	6
1	स्कूल यूनिफॉर्म सिलाई (पेन्ट व शर्ट फुल आस्तीन)	छात्र संख्यानुसार	शूटिंग ... शर्टिंग....		

नोट –

1. संवेदक /बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर नियमानुसार सभी प्रकार के करों एवं व्यय सहित होगी।
2. वितीय बिड दो या दो से अधिक बोलीदाताओं की दरे समान पाये जाने की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
3. सिलाई की हुई यूनिफॉर्म सेम्पल के बतौर प्रस्तुत करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील
फर्म का नाम.....
पता.....
मो.नं.....

DECLARATION BY THE BIDDER(S.R.11)

(TO BE SBMITTED WITH TECHNICAL BID)

I ----------Designation----------of ----------(office address)-- ----------(resi.adress)solemnly declare that our firm/company----------(name of the firm) has ot been black listed in india.

Date-------

Place---------- **Signature of the bidder with seal**

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तो को मैने /हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में बोली चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित सामग्री उपलब्ध है तथा आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 46 व आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता से विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है,पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ,मेरी /हमारी बोली प्रतिभूति/एवं अन्य कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को ,जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर बोली दाता

नाम.....

पता.....

Scanned with CamScanner

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfelted by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed.:----------

Name :----------

In the capacity of :----------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ----------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

23/12/2020
(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

23/12/2020
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in
GFR Rules-8

Scanned with CamScanner